न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जिला सांचौर

(पीठासीन अधिकारी हनुमानाराम आर.ए.एस.)

मुकदमा नंम्बरः– 06/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. चेनाराम पुत्र किशनाराम 2. बाबुलाल पुत्र केसाराम 3. गोमाराम पुत्र केसाराम 4. वागाराम पुत्र खंगारााराम जातियान जाट,निवासी सुण्टाकोई तहसील चितलवाना		1. भेराराम पुत्र दामाराम 2. गंगाराम पुत्र मगनाराम 3. प्रेमाराम पुत्र मूलाराम 4. जयरूपाराम पुत्र मूलाराम 5. शेराराम पुत्र मूलाराम 6. मोतीराम पुत्र मूलाराम 7. मगाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सुण्टाकोई तहसील चितलवाना 8. तहसीलदार चितलवाना

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए, आर.टी. आर. एक्ट 1955

उपस्थितः:–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री सदराम विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय **दिनांक** 07/02/2024

प्रार्थीगण चेनाराम वगैरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' के तहत एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम मदाणियो की ढाणी पटवार हल्का केरिया के खेत खसरा संख्या 226 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा संख्या 223 रकबा 6.30 हैक्टर, खसरा संख्या 213 रकबा 1.19 हैक्टर आये हुए है। जो प्रार्थीगण के बंटसुदा, कब्जासुदा में है। जिसमें प्रार्थीगण की वर्षो से रहवासीय ढाणी आयी हुई है। प्रार्थीगण को उक्त रहवासीय ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के रहवासीय ढाणी से आने–जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज भूमि ग्राम मदाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 214 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 215 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.19 हैक्टर भूमि की निकटतम रूट से आवश्यकता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (जिला-सांचौर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

मे आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत मे काश्त करने व आने–जाने का निकटतम रूट का सुविधाजनक का रास्ता नही है। आवेदित स्थान की भूमि से प्रार्थीगण आवागमन वर्षो से करता था। लेकिन रेकर्ड मे रास्ता किस्म मे दर्ज है जो अप्रार्थी के निजी खातेदारी मे दर्ज है। जिसका उपयोग करने मे अप्रार्थीगण आना–कानी करते है तथा आये दिन विवाद पैदा करते है। अप्रार्थी के खाते मे दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी मे दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है। तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नही बैठता है। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड मे रास्ता सुविधा प्रार्थीगण हेतु दर्ज करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी फरमावे।

प्रत्युतर में अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि निवेदन किया कि अवतरण संख्या एक प्रार्थी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 226, 223, 213 जो प्रार्थीगण के खातेदारी की है। उसके लिए रास्ते की मांग की है तो देखना है कि निकटतम रास्ता कौनसा है। तो प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 226 के निकटतम रास्ता खसरा संख्या 671, 672, 673 व 1036 है। तथा खसरा संख्या 215 जो खसरा संख्या 223 X स्थान जो नजरी नक्शे मे दर्शाया गया है वहा लगता है तथा खसरा संख्या 226 व 213 खसरा संख्या 223 के लगते है। तथा संयुक्त खातेदारी है। इसलिए खसरा संख्या 215 को नजरी नक्शे मे X स्थान जो खसरा संख्या 223 से लगता है। उससे आगे रास्ते की मांग नही कर सकते तथा खसरा संख्या 224, 208 जो हमारे खातेदारी के है। उसमे खसरा संख्वया 214 अभी मौके पर वर्षो से नही है। रास्ता निकाला जाता है तो हमारे खेत के दो टूकड़े हो जायेगे व खेत काश्त के उपयोग का नही रहेगा तथा खसरा संख्या 215 भी मौके पर रास्ता नही है। द्वितिय सर्वे अधिकारियो से मिलकर प्रार्थीगण [illegible] करवाई है। परन्तु खसरा संख्या 214 व 215 का अ[illegible] मौके [illegible] है व प्रार्थीगण के खेत के नजदीक का रास्ता खस[illegible] है। जो बिलकुल नजदीक पड़ते है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने [illegible]त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसका कोई आधार नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज योग्य होने से अस्वीकार कर खारीज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना जिला-सांचौर(राज.)

राजपैरोकार तहसीलदार चितलवाना से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चितलवाना द्वारा दिनांक 07.12.2017 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के ग्राम मदाणियो की ढाणी पटवार हल्का केरिया के खसरा संख्या 226, 223, 213 में आवागमन के लिए अप्रार्थी भेराराम वगैरा के विरूद्व खसरा संख्या 214 व 215 में से रास्ता चाहा गया है। मौके की जांच करने पर पाया कि केरिया से एक रास्ता जो कि चितलवाना ग्राम के शिवजी के मठ व स्कूल वगैरा तथा अन्य ढाणियो को जोड़ता था यह रास्ता मौके पर खसरा संख्या 214 व 215 गैर मुमकिन रास्ता रेकर्ड मे लिखा हुआ है लेकिन गैर मुमकिन रास्ता होने के बावजूद यह खसरा भेरा वल्द दामा 1/3, गंगा वल्द मगना 1/3, प्रमाराम वगैरा 1/3 के खाते मे दर्ज होने के कारण इस परम्परागत पुराने रास्ते को उक्त दो खसरो की भूमि को उक्त खातेदारो ने बंद कर दिया है। तथा कई वर्षो से परम्परागत पुराने रास्ते के निशान मिटा दिए है और उक्त रास्ता सड़क के पास से खसरा संख्या 215 गैर मुमकिन रास्ता बंद कर दिया है। प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 214 व 215 रकबा क्रमशः 0.08 व 0.11 हैक्टर कुल रकबा 0.19 हैक्टर रास्ते हेतु सही विकल्प है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे मौके पर कोई कीमती वृक्ष या कोई पक्का निर्माण मकान आदि का निर्माण वर्तमान मे नही है। मौका स्थिति व जांच अनुसार खसरा संख्या 214 व 215 रकबा क्रमशः 0.08 व 0.11 हैक्टर भूमि सरकारी रास्ता करना उचित है।

मैने उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया । जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खेत खसरा संख्या 226 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा संख्या 223 रकबा 6.30 हैक्टर व खसरा संख्या 213 रकबा 1.19 हैक्टर भमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में खेत खसरा संख्या 214 रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा संख्या 215 रकबा 0.11 हैक्टर कुल रकबा 0.19 हैक्टर भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता रेकर्ड मे दर्ज है। लेकिन यह अप्रार्थीगण भेराराम वगैरा के खाते में दर्ज है जिसमें से प्रार्थीगण को आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 214 व 215 रकबा क्रमशः 0.08 व 0.11 हैक्टर कुल रकबा 0.19 हैक्टर रास्ते हेतु सही विकल्प है प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे मौके पर कोई कीमती वृक्ष या कोई पक्का निर्माण मकान आदि का निर्माण वर्तमान मे नही है। जो मौका जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर (राज.)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मदाणियो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 214 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता, खसरा संख्या 215 रकबा 0.11 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ते की सम्पूर्ण आराजी कुल रकबा 0.19 हैक्टर भूमि का रास्ता प्रार्थीगण के प्रस्ताव अनुसार व संलग्न नक्शा परिशिष्ट "अ" लाल स्याही से दर्शाये एवं तहसीलदार चितलवाना की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 07.12.2017 अनुसार उक्त रास्ता भूमि को समाविष्ट करने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित मानते हुए राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप मे अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस रास्ते भूमि के प्रार्थीगण को रास्ते की सुविधा के अलावा अन्य अधिकार अर्जित नही रहेगें। तथा अप्रार्थीगण उक्त रास्ता स्थान की भूमि पर किसी प्रकार का आवागमन में बाधा कारित न करे व न करावें। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि जरिये डी.डी. के नियमानुसार भुगतान करे। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहरीर तहसीलदार चितलवाना को जारी हो, पक्षकार अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(हनुमाना राम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 07/02/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:35 IST
Reason: SelfAttested